न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर
पीठासीन अधिकारी दिव्या आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र सं. 03/2025
अनुवान भानवती बनाम सोहनराम आदि
आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 113, 128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 02.04.2025

भानवती पत्नी बजीर सिंह जाति जाट निवासी ग्राम नरवाणा जिन्द जिला जिन्द (हरियाणा)

–प्रार्थीनी–

बनाम

1. सोहनराम पुत्र चन्द्राराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ढाणी राणासर पंवारान तहसील भानीपुरा जिला चूरु (राज.)
2. सरला पत्नी सूरजभान जाति जाट निवासी ग्राम ढाणी राणासर पंवारान तहसील भानीपुरा जिला चूरु (राज.)
3. कुम्भाराम पुत्र नौरंगराम जाति जाट निवासी ग्राम राणासर पंवारान तहसील भानीपुरा(राज.)
4. काशीराम पुत्र नौरंगराम जाति जाट निवासी ग्राम राणासर पंवारान तहसील भानीपुरा (राज.)
5. पन्नीदेवी पत्नी नौरंगराम जाति जाट निवासी ग्राम राणासर पंवारान तहसील भानीपुरा (राज.)
6. भैराराम पुत्र नौरंगराम जाति जाट निवासी ग्राम राणासर पंवारान तहसील भानीपुरा (राज.)
7. उम्मेदखां पुत्र अलीम खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. सरदारशहर जिला चूरु (राज.)
8. भंवरूखा पुत्र अलीम खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. सरदारशहर जिला चूरु (राज.)
9. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भानीपुरा जिला चूरु (राजस्थान)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति –

1. श्री कालीचरण शर्मा विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीनी
2. अप्रार्थी सं0 , 7 व 8 स्वयं उपस्थित
3. अप्रार्थी सं. 1 व 3 ता 6 एकपक्षीय कार्यवाही
4. पैरोकार राज अप्रार्थी सं. 9
5. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से राजकुमार गहनोलिया

निर्णय

प्रार्थीनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीया की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 315/23 तादादी 4.3200 हैक्टेयर रोही ग्रामः राणासर पंवारान तहसील भानीपुरा में स्थित चली आ रही है; जिस पर वर्तमान में प्रार्थीया का कब्जा काश्त है। प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि का मौके [illegible] खातेदारान अप्रार्थीगण सं. 1 ता 8 की खातेदारी कृषि भूमि में दबा हुआ [illegible] सही पैमाईश करवाकर पुख्ता सीमाचिह्न कायम करवाया जाकर पुख्ता [illegible] न्यायसंगत है प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि खसरा नं. 315/23 तादादी 4.3200 हैक्टेयर रोही ग्रामः ढ़ाणी राणासर पंवा[illegible] दक्षिणी–पश्चिमी दिशा में सीमा रोही ग्राम राणासर पंवारान [illegible] लगती है। प्रार्थीयो की खाते[illegible]षि भूमि के उत्तर दिशा में खसरा नं. 294/22 तादादी 3.2000 हैक्टेयर रोही ग्राम ढ़ाणी राणासर पंवारान अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि एवं दक्षिणी दिशा में खरा नं. 833 तादादी 0.5200 हैक्टेयर रोही ग्राम : राणासर पंवारान अप्रार्थीगण सं. 3 ता 6 की कृषि भूमि एवं पूर्वी दिशा में खसरा नं. 316/23 तादादी 2.6800 हैक्टेयर रोही ग्राम ढ़ाणी राणासर पंवारान अप्रार्थी सं. 2 की कृषि भूमि एवं पश्चिमी दिशा में खसरा नं. 832 तादादी 2.0500 हैक्टेयर रोही ग्राम राणासर पंवारान अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.04.25 12:22:54 IST
Reason: SelfAttested

सं. 7 व 8 की कृषि भूमि लगती है। इस प्रकार प्रार्थीया की कृषि भूमि के चारों तरफ के पडौसी खातेदारान अप्रार्थी सं. 1 ता 8 हैं; जिन्होनें प्रार्थीया की कृषि भूमि को दबा रखा है; जिसकी पैमाईश करवाई जाकर पुख्ता पत्थरगढ़ी कायम करवाई जानी न्यायसंगत है।

प्रार्थीया की कृषि भूमि को अप्रार्थी सं. 1 ता 8 ने अपनी–अपनी खातेदारी कृषि भूमि में अतिक्रमी बनकर दबा रखी है; जिससे प्रार्थीया की भूमि मौके पर राजस्व रैकॉर्ड में काफी कम है। प्रार्थीया ने दिनाँक 13 नवम्बर 2024 को अप्रार्थी सं. 3 तहसीलदार, भानीपुरा के समक्ष अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने बाबत आवेदन पेश किया; जिस पर तहसीलदार महोदय, भानीपुरा द्वारा अपने आदेश क्रमांक 103 दिनाँक 19 नवम्बर 2024 को पटवारी हल्का जैतासर को आदेशित किया गया; जिसके आधार पर हल्का पटवारी, जैतासर द्वारा उक्त आदेश की पालना में दिनाँक 22 नवम्बर 2024 को प्रार्थीया की कृषि भूमि खसरा नं. 315/23 तादादी 4. 3200 हैक्टेयर रोही ग्राम ढ़ाणी राणासर पंवारान का सीमाज्ञान मौके पर जरीब चलाकर किया गया तब मौके पर प्रार्थीया की भूमि काफी कम हुई तथा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 8 की भूमि राजस्व रैकॉर्ड से जयादा हुई। प्रार्थीया ने मुताबिक सीमाज्ञान अपनी कृषि भूमि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 8 को देने का कहा तो अप्रार्थीगण ने सीमाज्ञान फर्द मौका पर हस्ताक्षर करने से एवं प्रार्थीया की भूमि देने से साफ मना कर दिया और कहा कि "कोर्ट के ऑर्डर से नपती होगी, उसको मानेंगे; यह सीमाज्ञान हमें स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया के खेत खसरा नं. 315/23 तादादी 4.3200 हैक्टेयर रोही ग्राम ढ़ाणी राणासर पंवारान तहसील भानीपुरा के पडौसी खातेदारान अप्रार्थीगण सं. 1 ता 8 है, जिन्होनें प्रार्थीया की कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर कृषि भूमि को दबा रखी है। इसलिए प्रार्थीया के द्वारा अपने सभी पडौसी खातेदारान अप्रार्थीगण सं. 1 ता 8 को नियमानुसार पक्षकार प्रार्थना–पत्र बनाया जाकर राजस्व रैकॉर्ड शामिल कर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीनी ने प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 111, 113, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के खेत खसरा नं. 315/23 तादादी 4.3200 हैक्टेयर रोही ग्राम ढ़ाणी राणासर पंवारान तहसील भानीपुरा का सीमाज्ञान करवाया जाकर नियमानुसार पुख्ता पत्थरगढ़ी कायम करवाई जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन सशुल्क तलब किया गया। वकील प्रार्थीनी द्वारा अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड सम्मन, डाक रजिस्ट्री रसीद व डाक डिलीवरी रिपोर्ट पेश की जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 3 ता 8 विधिवत तामिल के उपरान्त भी हाजिर अदालत नहीं होने पर अप्रार्थी सं0 1 व 3 ता 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2 ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्थरगढ़ी करवाई जाने में अपनी अनापत्ति होना जाहिर किया तथा प्रार्थीनी के साथ–साथ अप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी कृषि भूमि का भी सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी कायम की जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं0 9 को केवल भू धारक होने [illegible] पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रकरण में राज्यहित नहीं है। प्रार्थीया के खेत की [illegible] पूर्वी [illegible] पर पत्थरगढी होने से राज्य को कोई हानि नहीं होगी। अतः [illegible] जवाब [illegible] की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.04.25 12:22:54 IST
Reason: SelfAttested

बहस पक्षकारान सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीनी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस तर्क दिया कि कृषि भूमि खसरा नं. [illegible]/23 तादादी 4.3200 हैक्टेयर रोही ग्रामः राणासर पंवारान तहसील भानीपुरा में स्थित चली आ रही है; जिस पर वर्तमान में प्रार्थीया का कब्जा काश्त है। प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि का मौके पर राजस्व रकबा कम है जो पडौसी खातेदारान अप्रार्थीगण सं. 1 ता 8 की खातेदारी कृषि भूमि में दबा हुआ है जिससे प्रार्थीया की भूमि मौके पर राजस्व रैकॉर्ड में काफी कम है। प्रार्थीया ने दिनाँक 13 नवम्बर 2024 को अप्रार्थी

सं. 3 तहसीलदार, भानीपुरा के समक्ष अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने बावत आवेदन पेश किया; जिस पर तहसीलदार भानीपुरा द्वारा अपने आदेश क्रमांक 103 दिनाँक 19 नवम्बर 2024 को पटवारी हल्का जैतासर को आदेशित किया गया; जिसके आधार पर हल्का पटवारी, जैतासर द्वारा उक्त आदेश की पालना में दिनाँक 22 नवम्बर 2024 को प्रार्थीया की कृषि भूमि खसरा नं. 315/23 तादादी 4. 3200 हैक्टेयर रोही ग्राम ढ़ाणी राणासर पंवारान का सीमाज्ञान मौके पर जरीब चलाकर किया गया तब मौके पर प्रार्थीया की भूमि काफी कम हुई तथा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 8 की भूमि राजस्व रैकॉर्ड से जयादा हुई। प्रार्थीया ने मुताबिक सीमाज्ञान अपनी कृषि भूमि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 8 को देने का कहा तो अप्रार्थीगण ने सीमाज्ञान फर्द मौका पर हस्ताक्षर करने से एवं प्रार्थीया की भूमि देने से साफ मना कर दिया और कहा कि "कोर्ट के ऑर्डर से नपती होगी, उसको मानेंगे; यह सीमाज्ञान हमें स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया के खेत खसरा नं. 315/23 तादादी 4.3200 हैक्टेयर रोही ग्राम ढ़ाणी राणासर पंवारान तहसील भानीपुरा का सीमाज्ञान करवाया जाकर नियमानुसार पुख्ता पत्थरगढ़ी कायम करवाई जाने का निवेदन किया। जिसकी प्रार्थीनी खातेदार होने से अपने खेत की सीमाओं पर पत्थरगढी करवाने के कानूनी अधिकारी है। जिसका खर्चा प्रार्थीनी वहन करने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र के तथ्यो, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व अभिलेख जवाब अप्रार्थी संख्या 2 व प्रार्थीनी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन व गौर किया गया। वर्णित विवेचन से यह तथ्य प्रमाणित पाया गया कि खसरा नं. 315/23 तादादी 4.3200 हैक्टेयर रोही ग्राम ढ़ाणी राणासर पंवारान तहसील भानीपुरा प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीनी जिस खेत की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं उस खेत के स्वयं प्रार्थीनी खातेदार है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र पुष्ट व प्रमाणित पाया जाता है फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भानीपुरा आदेशित किया जाता है कि वह दक्ष पटवारियों व गिरदावरों की टीम गठित कर प्रार्थीनी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नं. 315/23 तादादी 4.3200 हैक्टेयर रोही ग्राम ढ़ाणी राणासर पंवारान तहसील भानीपुरा की सीमा पर सीमाचिन्ह कायम किये जाकर एवं पेमाईश कराकर पुख्ता पत्थरगढी करावे। पेमाईश एवं पत्थरगढी का समस्त खर्चा प्रार्थीनी वहन करेंगी। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भानीपुरा को भिजवाई जावे। विवाद की स्थिति में पुलिस इमदाद से निर्णय की पालना सुनिश्चित की जाये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2025.04.25 12:22:54 IST
Reason: SelfAttested

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
भानीपुरा (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 02.04.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
भानीपुरा (चूरू)